

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो।
2. वर्तमान धारित पर
3. वर्तमान वेतन

उप वि०, उप समान, ताबुका तथा समान का नाम, जिसमें संपत्ति रिपत हो	संपत्ति का नाम तथा खी	वर्तमान मूल्य	यदि खय के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह लिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से व्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, भेंट या विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खी	संपत्ति से वारिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home 60 Nagar Bhaskar Bhaskar	Home 20' x 30'	32 Lakh		Ashtok Varn & Bhaskar Varn Self saving	NI	—
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

उहां नाम न हो कार दीक्षित।
ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
जिसमें अत्युक्तमूल्य पट्टे भी सम्मिलित है
टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आगो उस विरासत में मिली या उसके अपने समय पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के खी दें।

उपस्थित :
नाम : Ashtok Varn
पद : I T O
24/01/19